

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

चांदी

बनाम

डालीबाई

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 469/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज
04/12/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रावेरेण के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री/श्रीमती <u>चांदी - भैरी - शंकरलाल</u></p> <p>पिता श्री <u>अगवान्ना जी चमार</u></p> <p>निवासी- <u>चिकली</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम <u>चिकली</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1333/36</u></p> <p><u>1334/37</u>, <u>1335/51</u>, <u>1336/74</u> <u>0.0900</u> <u>0.01700</u> <u>0.1700</u> <u>0.0100</u></p> <p>कुल कीता <u>0.4</u> कुल रकबा <u>0.4400</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>चिकली</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1333/36</u>, <u>1334/37</u>, <u>1335/51</u>, <u>1336/74</u> <u>0.0100</u> <u>0.0900</u> <u>0.1700</u> <u>0.1700</u></p> <p>कुल कीता <u>0.4</u> रकबा <u>0.4400</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलगेन्ट तपशे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500/-</u> रुपये अक्षरे <u>पांच सौ (500)</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्मित हो। पत्रावली पालना प्राप्त पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ </p>